31

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- R/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3948

1. महादेव तनय जुगती अहीर, निवासी ग्राम लहरबुजुर्ग, तह. पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... निगराकार

एम.पी. भटनागर एड. द्वारा आज दि. 12.10.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-10-17

पेशी दिनांक 10-11-17

बनाम

1. जगदीश प्रसाद तनय शुकलाल यादव ग्राम पूंछा, सरपंच ग्राम पंचायत लहरबुजुर्ग
2. मन्टोला तनय घुरका अहिरवार
3. हीरालाल तनय मुन्नी राय
4. हरीसिंह तनय रामसिंह ठाकुर
5. छक्की तनय झगड़ू कलार
6. ब्रजनंदन तनय परमा खंगार
7. वृन्द्रावन तनय जुगती अहीर

सभी निवासी ग्राम लहरबुजुर्ग, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) ......प्रति निगराकार

निगरानी प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/पुनरीक्षण/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 के विरूद्व/अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत।

प्रति निगराकारगण की विनय सादर निम्न है कि :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 38/पुन./2010-11 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 विधि विधान एवं वाक्यात् पत्रावली के विरूद्व है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अवलोकन नहीं किया गया और न ही प्रकरण में दस्तावेज साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया गया ऐसा आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्ती योग्य है।

2- यह कि, भूमि खसरा नं. 390/2 रकवा 0.684 हेक्टै. स्थित ग्राम लहरबुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ की भूमि विधिवत व्यवस्थापन ग्राम के अन्य व्यक्तियों के साथ

(क्रमशः....2)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक एक / निगरानी / टीकमगढ / भू.रा / 2017 / 3948

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-01-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 38 / निगरानी / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28.08.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट कि प्रश्नागत प्रविष्टि के संबंध में पटवारी एवं तहसीलदार पलेरा से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लेने के पश्चात एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्पष्ट करते हुये बताया गया कि प्रश्नगत भूमि किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना शासकीय अभिलेख से सीधे भूमि स्वामी के रूप में दर्ज की गई है इसके खंण्डन में आवेदक महादेव यादव एवं अन्य की ओर से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं और न ही उसे पटटे पर भूमि मिलने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिये कलेक्टर टीकमगढ ने प्रश्नगत शासकीय भूमि पर की गई प्रविष्टि प्राथमिक रूप से दोषपूर्ण पाये जाने से म0 प्र0 शासन के रूप में दर्ज करने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।	

3--उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 38/निगरानी/2010--11 में पारित आदेश दिनांक 28.08.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य